

12-12-25 पशावली अपीलान्त अधिवक्ता के प्रावना पत्र  
पर आज दिनांक को नलक की जधी!  
अपीलान्त अधिवक्ता से प्रावना पत्र पत्र न  
वर औरिन बिधा दि प्रकरण मे प्रसंग  
के मस्य बाभीनामा हो जने हो अपीलार्थी  
अब आगे कोई बाधनती मही चाहती है  
अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का प्रावना पत्र  
स्वीकार बिधा जाता है। अपीलार्थी की अपील  
विद्दो के आधार पर रकारिस की जाती है  
प्रकरण मे दिनांक 19-09-25 को जारी औरिस  
अस्थायी निष्कासा समाप्त की जाती है।  
पशावली फंड ल सुमाद लेबर नम्बर से उभ  
हो।

*Amund*  
सुपखण्ड अधिकारी ए०  
प्रदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाडा